



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233927
CG-DL-E-04032022-233927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/ फाल्गुन 13, 1943

No. 63]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

सं. पी-27015/4/2020-चमड़ा – केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपये के अनुमोदित व्यय के साथ 31.03.2026 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)' को जारी रखने की मंजूरी दी है।

2. यह योजना चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र की अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान करने, अतिरिक्त निवेश को सुविधाजनक बनाने, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि के लिए है।

3. आईएफएलडीपी के तहत निम्नलिखित उप-योजनाएं लागू की जाएंगी:-

- (i) सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय संवर्धन (एसटीईपी)
- (ii) चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)
- (iii) संस्थागत सुविधाओं की स्थापना
- (iv) मेगा चमड़ा, फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर विकास (एमएलएफएसीडी)
- (v) चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का ब्रांड संवर्धन
- (vi) डिजाइन स्टूडियो का विकास

4. उपयुक्त छ: उप-योजनाओं के दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट अर्थात् <http://dpiit.nic.in/> पर उपलब्ध हैं।
5. आईएफएलडीपी के अंतर्गत उप- योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक अधिकार-प्राप्त समिति, एक संचालन समिति और एक सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
6. अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-
- भारतीय फुटबल और चमड़ा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी।
 - भारतीय फुटबल और चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न उप-योजनाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन का सुझाव देना और चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित/अनिवार्य विशिष्ट उपायों का भी सुझाव देना।
 - चमड़ा और फुटबल उद्योग से संबंधित अथवा उनसे जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी का समन्वय एवं संकलन करना और चमड़ा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी संबंधितों को उसका समन्वय /प्रचार करना।
 - संचालन समिति को प्रदत्त शक्तियों के अलावा भारतीय फुटबल और चमड़ा विकास कार्यक्रम की उप-योजनाओं के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देना।
 - संबंधित दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित भारतीय फुटबल और चमड़ा विकास कार्यक्रम की सभी उप-योजनाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों का अनुमोदन।
 - ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किए गए कोई अन्य मामले।
7. समिति अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार करेगी और एक या अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है या जैसा यह समझती है। यह समय-समय पर और आवश्यकता के अनुसार बैठक करेगी।
8. अधिकार प्राप्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी: -

(i)	सचिव (डीपीआईआईटी)	अध्यक्ष
(ii)	वित्तीय सलाहकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
(iii)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव (चमड़ा और फुटबल), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य-संयोजक
(iv)	नीति आयोग के प्रतिनिधि जो सलाहकार की रैंक से कम न हो	सदस्य
(v)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से कम न हो	सदस्य
(vi)	जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से कम न हो	सदस्य
(vii)	वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से कम न हो	सदस्य
(viii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से कम न हो	सदस्य
(ix)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से कम न हो	सदस्य
(x)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

9. संचालन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

- (i) प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, प्रक्रियाएं निर्धारित करना, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित मानक संयंत्र और मशीनरी के लिए विनियामक कीमतों का निर्णय करना, सरकार से वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त करना और चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-योजना के तहत औद्योगिक इकाईयों के लिए सरकार के वित्तीय सहायता की निगरानी तथा संवितरण करना;
- (ii) भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम की उप-योजनाओं के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रस्तावों का अनुमोदन; और
- (iii) भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- (iv) संबंधित दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित आईएफएलडीपी की सभी उप-योजनाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना।
- (v) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

10. समिति अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार करेगी और एक या अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है या जैसा यह समझती है। यह समय-समय पर और आवश्यकता के अनुसार बैठक करेगी।

11. संचालन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव (चमड़ा और फुटवियर), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक/उप सचिव(वित्त विंग), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
(iii)	वाणिज्य विभाग द्वारा नामित	सदस्य
(iv)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामित	सदस्य
(v)	निदेशक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा नामित	सदस्य
(vi)	प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अथवा नामित	सदस्य
(vii)	निदेशक/उप सचिव (चमड़ा और फुटवियर), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	संयोजक
(viii)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित सदस्य	विशेष आमंत्रित सदस्य

12. सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

- (i) भारतीय फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर उद्योग संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करना।
- (ii) भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना।
- (iii) संबंधित दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित आईएफएलडीपी की सभी उप-योजनाओं से संबंधित उद्योग संबंधी विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना।
- (iv) अधिकार प्राप्त समिति और संचालन समिति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

13. समिति अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार करेगी या जैसा यह समझती है। यह समय-समय पर और आवश्यकता के अनुसार बैठक करेगी।

14. सलाहकार समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव (चमड़ा और फुटवियर), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक/उप सचिव (वित्त विंग), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
(iii)	वाणिज्य विभाग द्वारा नामित	सदस्य
(iv)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामित	सदस्य
(v)	अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद	सदस्य
(vi)	अध्यक्ष, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री परिषद	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अथवा नामित	सदस्य
(vii)	निदेशक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा नामित	सदस्य
(ix)	प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अथवा नामित	सदस्य
(x)	निदेशक/उप सचिव (चमड़ा और फुटवियर), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	संयोजक
(xi)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2022

No. P-27015/4/2020-Leather.—The Central Government has approved continuation of Central Sector Scheme 'Indian Footwear and Leather Development Programme (IFLDP)' with an approved expenditure of Rs.1700 crore till 31.03.2026 or till further review, whichever is earlier.

2. The scheme is to encourage development of infrastructure for the leather and footwear sector, address environment concerns specific to the leather and footwear sector, facilitate additional investments, employment generation and increase in production.

3. The following sub-schemes would be implemented under IFLDP :-

I. Sustainable Technology and Environmental Promotion (STEP)

II. Integrated Development of Leather Sector (IDLS)

III. Mega Leather, Footwear and Accessories Cluster Development (MLFACD)

IV. Establishment of Institutional Facilities

V. Brand Promotion of Indian Brands in Leather and Footwear Sector

VI. Development of Design Studios

4. The guidelines of above mentioned six sub-schemes are available on the website of the Department i.e. <http://dpiit.nic.in/>.

5. In order to ensure effective implementation of the sub-schemes under IFLDP, it has been decided to constitute an Empowered Committee, a Steering Committee and an Advisory Committee.

6. The Terms of Reference of the Empowered Committee will be as under:-

(i) Monitor the implementation of Indian Footwear and Leather Development Programme.

(ii) To suggest modifications in the guidelines of the various sub-schemes under Indian Footwear and Leather Development Programme and also suggest specific measures required/essential to achieve the desired output for the development of the leather sector.

(iii) To co-ordinate and collate information about schemes being implemented by various Ministries/Department having connection or linkage to leather and footwear industry and synergize/disseminate the same to all concerned for overall development of the leather sector.

(iv) Approve proposals under the sub-schemes of Indian Footwear and Leather Development Programme beyond the delegated powers of the Steering Committee.

(v) Approve specific issues concerning all sub-schemes of Indian Footwear and Leather Development Programme as mentioned in the concerned guidelines.

(vi) To take up any other issue not specified above.

7. The Committee will devise its own procedures and may appoint one or more Sub-committees, as it may consider. It will meet from time to time and as per requirement.

8. The composition of the Empowered Committee will be as under:-

(i)	Secretary (DPIIT)	Chairperson
(ii)	Financial Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
(iii)	Additional Secretary/Joint Secretary (Leather and Footwear), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member-Convenor
(iv)	Representative of NITI Ayog not below the rank of Adviser	Member
(v)	Representative of Ministry of Environment, Forests and Climate Change not below the rank of Joint Secretary	Member
(vi)	Representative of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation not below the rank of Joint Secretary	Member
(vii)	Representative of Department of Commerce not below the rank of Joint Secretary	Member
(viii)	Representative of Ministry of MSME not below the rank of Joint Secretary	Member
(ix)	Representative of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship not below the rank of Joint Secretary	Member
(x)	Other Invitee as decided by the Chairperson	Special Invitee

9. The Terms of Reference of the Steering Committee will be as under:-

(i) Ensure effective implementation, lay down procedures, decide normative prices for standard plant and machinery required for the modernization programme, accord sanction of financial assistance from Government, and monitor and follow up disbursement of financial assistance from Government to the industrial units under the sub-scheme Integrated Development of Leather Sector (IDLS);

(ii) Approval of proposals under the sub-schemes of Indian Footwear and Leather Development Programme costing up to Rs. 15 crore; and

(iii) Monitor the implementation of the projects sanctioned by the Department under Indian Footwear and Leather Development Programme.

(iv) Resolve specific issues concerning all sub-schemes of IFLDP as mentioned in the concerned guidelines.

(v) Any other work assigned by the Empowered Committee.

10. The Committee will devise its own procedures and may appoint one or more Sub-committees, as it may consider necessary. It will meet from time to time and as per requirement.

11. The composition of the Steering Committee will be as under:-

(i)	Additional Secretary/Joint Secretary (Leather & Footwear), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Chairperson
(ii)	Director/Deputy Secretary (Finance Wing), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
(iii)	Nominee of Department of Commerce	Member

(iv)	Nominee of Ministry of MSME	Member
(v)	Director, Central Leather Research Institute or nominee	Member
(vi)	Managing Director, Footwear Design & Development Institute or nominee	Member
(vii)	Director/Deputy Secretary (Leather and Footwear), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Convener
(viii)	Other Invitee as decided by the Chairperson	Special Invitee

12. The Terms of Reference of the Advisory Committee will be as under:-

- (i) To provide industry perspective on issues concerning Indian Footwear and Leather sector.
- (ii) To facilitate effective and time bound implementation of the approved projects under Indian Footwear and Leather Development Programme.
- (iii) To facilitate time bound resolution of industry specific issues concerning all sub-schemes of IFLDP as mentioned in the concerned guidelines.
- (iv) Any other work assigned by the Empowered and Steering Committees.

13. The committee will devise its own procedures, as it may consider necessary. It will meet from time to time and as per requirement.

14. The composition of the Advisory Committee will be as under:-

(i)	Additional Secretary/Joint Secretary (Leather and Footwear), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Chairperson
(ii)	Director/Deputy Secretary (Finance Wing), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
(iii)	Nominee of Department of Commerce	Member
(iv)	Nominee of Ministry of MSME	Member
(v)	Chairman, Council for Leather Exports	Member
(vi)	Chairman, Council for Footwear, Leather and Accessories	Member
(vii)	Chairperson, Footwear Design & Development Institute or nominee	Member
(vii)	Director, Central Leather Research Institute or nominee	Member
(ix)	Managing Director, Footwear Design & Development Institute or nominee	Member
(x)	Director/Deputy Secretary (Leather and Footwear), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Convener
(xi)	Other Invitee as decided by the Chairperson	Special Invitee

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.